

(प्राथमिक डिक्री)

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पचाला

उनवान

1. मुकेश पुत्र रामफुल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. चन्द्रकला पुत्री रामफुल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. बदरी पत्नी रामफुल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

- वादीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र रामफुल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार तहसील उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 156 वर्ष 2015

वादीगण की ओर से श्री मुकेश वगैरह प्रतिवादीगण की ओर से रामचरण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9.6.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 26,62,169/378 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील उनियारा का वादीगण व प्रतिवादी न0 1 के मध्य विभाजन हेतु राजस्व रेकार्ड व मोके पर कब्जा काश्त अनुसार कूर्रजात कायम कर भिजवावे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9 माह 6 सन् 2016 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक